

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2019/ IV - 1505/ 1120

दिनांक:

01-5-2019

सेवा में,

**M/s Strongbiz Propbuild Pvt. Ltd.,
7th Floor, Tower-B, Plot No. - 08,
Sector - 127, Noida - 201301**

आपके आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2019 के संदर्भ में प्रस्तावित स्पोर्ट सिटी भूखण्ड संख्या एस0सी0 - 02/ए - 07, सैक्टर - 150, नोएडा के भवन मानचित्र की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. संदर्भित योजना के पुनरीक्षित स्वीकृत ले-आउट प्लान की पत्रावली संख्या IV -1451 के स्वीकृति पत्र सं0 नोएडा/मु0वा0नि0/2017/950, दिनांक 17.01.2017 के सभी नियम/प्रतिबन्ध एवं शर्तें आदि यथावत पूर्णरूप से सब-लीज धारक पर लागू होगी तथा इस अधिभोग का अभिन्न भाग होगा।

1

16. ब्रोशर, लीजडीड, सबलीज डीड, महायोजना, बिल्डिंग रेगुलेशन आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेंगे।
17. यह स्वीकृति सदा सम्पूर्ण स्पोर्ट सिटी की योजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा स्वतंत्ररूप से इस प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
18. स्पोर्ट सिटी की परियोजना के लिए ब्रोशर/लीज डीड में पृष्ठ 9 से 11 पर अंकित सुविधाओं के विकास एवं वित्तीय परिव्यय के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने का दायित्व/सह दायित्व मूल लीज डीड धारक एवं सब लीज डीड धारक का संयुक्त रूप से रहेगा।
19. मनोरंजन(खेल, संस्थागत, अन्य सुविधाओं) के अनुपयोगित एफ0ए0आर0 2198.29 वर्ग मी0 (जो कि संदर्भित योजना के आवासीय एफ0ए0आर0 का 2.21% है) आवासीय उपयोग से स्थानान्तरित कर निर्मित एवं उपयोग करने हेतु मनोरंजन घटक की सभी कार्य एवं सुविधाओं के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा, जिसको सबलीज डीड धारक के हिस्से में आने वाले भाग को मानचित्र में प्रस्तावित आवासीय निर्माण में फेस-2 के रूप में दर्शाया गया है। इससे पूर्व इस भाग की स्वीकृति मात्र प्रतीकात्मक रूप में ही मान्य होगी।
20. प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
22. यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी भूखण्ड पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्तें/लीज डीड की शर्तें/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
23. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग तथा उसके सपोटिंग यूज में अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
24. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत् समीक्षा की जायेगी
25. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
26. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
27. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुर्नवितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैंड स्कैपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
28. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।

29. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधायें, अवस्थापना सुविधायें, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
30. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।
31. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
32. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन सेवायें एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्ज, टैक्स, लेवी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।
33. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
34. यह पुनरीक्षित स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी।
35. पुनरीक्षित स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
36. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन पुनरीक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति पर्यावरण सम्बन्धित पुनरीक्षित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी। पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा तक निर्माण नियमानुसार कराया जा सकता है तथा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा के उपरान्त निर्माण से पूर्व पुनरीक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
37. सभी प्रस्तुत की गयी/की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र यथा - प्रदूषण, पर्यावरण, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, अग्निशमन, एअर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र आदि में अंकित सभी प्रतिबन्धों एवं शर्तों का यथावत अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व आबंटी/आवेदक का होगा, जिसका पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त एवं निष्प्रभावी माने जायेगे।
38. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं० 21/2012 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं० 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्य हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे।
39. ग्रीन बिल्डिंग हेतु नोएडा भवन विनियमावली, 2010 के प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार सम्बन्धित संस्थान से संदर्भित उप विभाजित भूखण्ड का पंजीकरण कराकर प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात ही ग्रीन बिल्डिंग हेतु अतिरिक्त 5% एफ०ए०आर० अनुमन्य किया जायेगा।
40. आबंटी को ग्रीन भवन हेतु लीड/ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिशियेंसी द्वारा हर तीन वर्ष में आज्ञा पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करना होगा। अगर उसके द्वारा यह प्रमाण पत्र प्राधिकरण में प्रेषित नहीं किया जाता है तो एक माह के नोटिस पर प्राधिकरण द्वारा उसको निःशुल्क प्रदत्त एफ.ए.आर. का प्रशमन शुल्क क्रय योग्य एफ.ए.आर. का 200% की दर से वसूल किया जायेगा।
41. संदर्भित प्रकरण में लेबर सेस की धनराशि मौके पर निर्माण कार्य पूर्ण करने से पूर्व सम्बन्धित लेबर विभाग जमा कराकर प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

३

42. आबंटी द्वारा फ्लैट क्रेताओ व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करानी सुनिश्चित करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें।

सब लीज भूखण्ड एस0सी0 - 02/ए - 07, सैक्टर - 150 पर निर्माण का विवरण

- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 50,790.00 वर्ग मी0

- भू-आच्छादन का विवरण**

श्रेणी	स्वीकृत ले-आउट के अनुसार अनुमन्य (वर्ग मी0)	पूर्व स्वीकृत (वर्ग मी0)	वर्तमान में प्रस्तावित (वर्ग मी0)
आवासीय	15,057.00	5,777.548	6504.28
वाणिज्यिक	180.00	177.618	179.87
कुल	15,237.00	5,955.166	6684.15

- एफ0ए0आर0 का विवरण**

श्रेणी	स्वीकृत ले-आउट के अनुसार अनुमन्य (वर्ग मी0)	5% ग्रीन बिल्डिंग (आवासीय में) सहित अनुमन्य एफ0ए0आर0 (वर्ग मी0)	पूर्व स्वीकृत 5% ग्रीन सहित आवासीय एफ.ए.आर. में (वर्ग मी0)	वर्तमान में प्रस्तावित (5% ग्रीन सहित आवासीय एफ.ए.आर. में) (वर्ग मी0)
आवासीय	99,470.12	104443.626	1,04,443.431	104322.90
वाणिज्यिक	348.69	348.69	348.676	347.76
कुल	99818.81	104792.316	1,04,792.107	104670.68

- सेवा क्षेत्रफल का विवरण**

स्वीकृत ले-आउट के अनुसार अनुमन्य (वर्ग मी0)	पूर्व स्वीकृत (वर्ग मी0)	वर्तमान में प्रस्तावित (वर्ग मी0)
14,972.820	8,069.782	14940.64

- ड्वेलिंग यूनिट का विवरण**

स्वीकृत ले-आउट के अनुसार अनुमन्य	पूर्व स्वीकृत	वर्तमान में प्रस्तावित
670	670	664

घनत्व (डेन्सिटी गणना)

- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 50,790.00 वर्ग मी0
- स्वीकृत ले-आउट के अनुसार अनुमन्य ड्वेलिंग यूनिट्स = 670 यूनिट
- पूर्व स्वीकृत ड्वेलिंग यूनिट्स = 670 यूनिट
- प्रस्तावित/ पुनरीक्षित ड्वेलिंग यूनिट्स = 664 यूनिट
- व्यक्तियों की अनुमन्य संख्या = 670 X 4.5 = 3015 व्यक्ति
- प्रस्तावित/पुनरीक्षित = 664 X 4.5 = 2988 व्यक्ति

पार्किंग का विवरण

- कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता आवासीय (1,04322.92/80) = 1304 पार्किंग स्थल
- कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता वाणिज्यिक (347.76/50) = 7 पार्किंग स्थल
- कुल आवश्यक पार्किंग स्थल = 1311 पार्किंग स्थल
- प्रस्तावित मेकेनिकल पार्किंग स्थल (बेसमेंट) (7929.86/18) = 441 पार्किंग स्थल
- प्रस्तावित पार्किंग स्थल (बेसमेंट) (27957.31/30) = 932 पार्किंग स्थल
- कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल = 1373 पार्किंग स्थल

हरित क्षेत्र का विवरण

- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 50,790.00 वर्ग मी0
- प्रस्तावित भू-आच्छादन = 6684.15 वर्ग मी0
- कुल खुला क्षेत्रफल (50,790.00 - 6684.15) = 44,105.85 वर्ग मी0
- हरित क्षेत्रफल की आवश्यकता (खुले क्षेत्र का 50%) = 22,052.92 वर्ग मी0
- प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल = 23,441.37 वर्ग मी0
- कुल पौधों की आवश्यकता 44,105.85/100 = 441.05 = 441 पौधे

आबंटी संस्था द्वारा मानचित्रों में कुल 445 पौधों की संख्या प्रस्तावित की गयी है, जिसमें से 50% पौधे लम्बी अवधि एवं घने छायादार दर्शाये गये हैं।

सैटबेक विवरण:-

सैटबेक	अनुमन्य (मी0)	प्रस्तावित (मी0)	
		तहखाना	भवन
अग्र	12.0	6.50	12.0
पृष्ठ	9.0	6.50	9.0
बाई साइड	9.0	6.50	9.0
दाई साइड	9.0	6.50	9.0

तल-वार विवरण

तल	उपयोग	अनुमन्य एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	पूर्व में स्वीकृत एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	पुनरीक्षित/प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी0)
बेसमेंट			216.365	
भूतल/स्टिल्ट	आवासीय व वाणिज्यिक	15,237.00	3837.817	1453.73
प्रथम तल	आवासीय, वाणिज्यिक एवं कम्युनिटी		3041.453	5332.69
द्वितीय तल	आवासीय		4221.269	3651.66
तृतीय तल	आवासीय		4221.269	3651.66

चतुर्थ तल	आवासीय	शेष एफ0ए0आर0	4221.269	3651.66
पंचम तल	आवासीय		4221.269	3651.66
छटवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
सातवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
आठवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
नौवा तल	आवासीय		4221.269	3651.66
दसवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
ग्यारहवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
बारवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
तेरहवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
चौदहवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
पन्द्रहवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
सोलहवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
सत्रहवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
अट्ठारहवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
उन्नीसवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
बीसवां तल	आवासीय		4221.269	3651.66
इक्कीसवां तल	आवासीय		3000.073	3651.66
बाइसवां तल	आवासीय		3000.073	3651.66
तैइसवां तल	आवासीय		3000.073	3651.66
चौबीसवां तल	आवासीय		3000.073	3651.66
पच्चीसवां तल	आवासीय		2176.069	3651.66
छब्बीसवां तल	आवासीय		1288.781	3651.66
सत्ताईसवां तल	आवासीय		1288.781	3625.62
अट्ठाईसवां तल	आवासीय		738.638	2967.14
कुल एफ0ए0आर (ग्रीन बिल्डिंग सहित)		104792.226	104792.107	104670.68
सर्विस क्षेत्रफल		14972.82	8069.782	14940.64
बेसमेंट			38918.325	37754.57
स्टिल्ट			1788.251	3455.62
पूर्व स्वीकृत कुल क्षेत्रफल (एफ0ए0आर0, सेवा क्षेत्रफल, बेसमेंट व स्टिल्ट सहित)		$= 104792.107 + 8069.782 + 38918.325 + 1788.251$ $= 1,53,568.465 \text{ वर्ग मी0}$		
प्रस्तावित क्षेत्रफल (एफ0ए0आर0, सेवा क्षेत्रफल, बेसमेंट व स्टिल्ट सहित)		$= 104670.68 + 14940.64 + 37754.57 + 3455.62$ $= 1,60,821.51 \text{ वर्ग मी0}$		

टिप्पणी - स्पोर्ट सिटी का अवशेष एफ0ए0आर0(स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित आवासीय एफ0ए0आर0 99,470.12 वर्ग मी0 का 2.21% अर्थात 2198.29 वर्ग मी0) का उपयोग आवासीय / ग्रुप हाऊसिंग के उपयोग में स्पोर्ट सिटी के पूर्ण हो जाने के बाद किया जा सकेगा ।

Map for proposed Building is as per Bye
Laws. Submitted for approval please.


Asstt.


Asstt. Arch.


Architect

नाम.....
पद.....

नोएडा
नोएडा

प्रतिलिपि:-

1. विशेष कार्याधिकारी (वाणिज्यिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. मैसर्स लोटस ग्रीन्स कन्सट्रक्शन्स प्रा0 लिमिटेड, डी - 107, पंचशील एन्कलेव, नई दिल्ली - 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।